तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25.02.2020	उभयपक्ष के अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.03.2020 को पेश हो।
16.03.2020	उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि उक्त अनवानी दावा माननीय न्यायालय मे जैरकार है जिसमें आज की तारिख पेशी निश्चित है वादीगण के दावा का मुख्य उदेश्य दस्तावेज दस्बरदारी को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को नही है, बल्कि सिविल न्यायालय को है, वादीगण ने दस्तावेज दस्तबरदारी (त्याग पत्र) निरस्त करनें हेतु सिविल कोर्ट मे दावा पेश किया है, जो आज जैरकार है, जब वादीगण्ण नें सिविल कोर्ट मे दस्तावेज निरस्तीकरण हेतु दावा पेश कर दिया है तो राजस्व न्यायालय मे जैरकार यह दावा चलनें के काबिल नही है। दावा काबिल निरस्ती है। अत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ना होनें एवम् सिविल दावा जैरकार होने के कारण दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे। वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही करने पर जवाब बन्द किया जाकर बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए न्यायिक दृष्टान्त RRD 1977 Page 637, AIR 1982 Page 91, RLR 1992 (2) Page 401, RRD 1993 Page 326, RRD 1994 Page 98 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के दावा का मुख्य उद्देश्य रजिस्टर्ड दस्तबरदारी को निरस्त करवाना है, दस्तबरदारी धोखा एवम् कपट से करवाये जानें का कथन किया है, इसलिये दावा सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का है, वादीगण नें दस्तबरदारी को निरस्त करवानें का दावा सिविल कोर्ट में पेश कर दिया है, जो विचाराधीन है। दावा की नकल पेश की गई है। न्यायिक दृष्टान्त AIR 1977 (SC) Page 2421, DNJ 2003(1) Page 107 प्रस्तुत कर कथन किया कि यदि दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है, तो आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का निस्तारण प्राथमिक स्तर पर ही किया जाना चाहीये ऐसे दावा में जबाब दावा पेश करना जरूरी नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त RRD 1979 Page 624 प्रस्तुत कर कथन किया कि यदि दावा मे दो रिलिफ हो जिसमें एक सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार की है, तथा दूसरी रेवेन्यू कोट के क्षेत्राधिकार की है, तो दावा सिविल कोर्ट मे पेश किया जावेगा। अतः वादीगण द्वारा वादपत्र सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है, इस कारण वादीगण का वाद इस न्यायालय में चलनें योग्य नहीं होनें से खारिज फरमाया जावे। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस न्यायिक दृष्टान्त RRT 2010 (1) Page 720 प्रस्तुत कर कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादीगण नें मात्र घोषणा व तकसीम के अनुतोष की याचना की है, वादीगण नें दावा मे कथित वर्णित दस्तावेज दस्तबरदारी के निरस्ती के अनुतोष की याचना नही है, तथा वादीगण नें दस्तबरदारी को प्रारम्भतः शुन्य होना अभिकथित किया है, आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये मात्र दावा में अभिकथनों पर ही विचार किया जाता है, प्रतिवादी के बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
लगातार ...... न्यायिक दृष्टान्त RRW 2012 (4) Page 2912, RRW 1984 Page 573 प्रस्तुत कर कथन किया कि हस्तगत प्रकरण मे वादीगण ने दस्तबरदारी को प्रारम्भतः शुन्य होना अभिकथित किया है इसलिये प्रकरण माननीय राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का ही होने से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. भारी खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावे। सुयोग्य अधिवक्तागण की समायत बहस पर मनन किया गया अधिवक्ताण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया जाकर पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वादीगण स्वयं द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे पंजीबद्ध दस्तबरदारी करवाई है, जिसको मात्र वादीगण के कथनों से प्रारम्भतः ही शुन्य होना नही माना जा सकता है। तथा वादीगण द्वारा पंजीबद्ध दस्तबरदारी को निरस्त करवानें हेतु भी सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो जैरकार है, जब वादीगण्ण नें सिविल कोर्ट मे दस्तावेज निरस्तीकरण हेतु दावा पेश कर दिया है, तो राजस्व न्यायालय में जैरकार यह दावा चलनें योग्य नहीं होनें से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पोषणीय पाये जाने से स्वीकार किया जाकर वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनाक 13.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.09 13:00:47 IST
Reason: SelfAttested